न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 55/12 (80/2007) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. भगवानी धर्मपत्नि रामलाल जाति अहीर
2. मेवा देवी पत्नि भवानी सहाय जाति अहीर
3. रामलाल पुत्र खेमराम जाति अहीर
4. भवानी सहाय पुत्र खेमराम जाति अहीर
5. रामेश्वर पुत्र रामलाल जाति अहीर
6. रामकिशन पुत्र रामलाल जाति अहीर
7. रामफूल पुत्र रामलाल जाति अहीर
8. नरेन्द्र पुत्र भवानीसहाय जाति अहीर
9. उम्मेद पुत्र रामेश्वर जाति अहीर
10. शारदा पत्नि रामकिशन जाति अहीर
11. सुमन पत्नि रामफूल जाति अहीर
12. सन्तकाल पत्नि रामेश्वर जाति अहीर
13. मनभर पुत्र घीसाराम जाति जोगी निवासीयान ग्राम माजरीखुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:–– अप्रार्थीगण अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी माजरीखुर्द तहसील बहरोड

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जिला अलवर राजस्थान

:-- प्रार्थी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 4.4.07

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अमरसिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री विनोद कुमार यादव

निर्णय दिनांक 27.9.2017

1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 454 एवं 455 वाके ग्राम मांजरीखुर्द तहसील बहरोड में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है । यह आराजी अविभाजित है । अप्रार्थीगण प्रार्थी के 1/4 हिस्से पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर हमारा ही कब्जा है । अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पो0 आराजी पर कब्जा करना चाहता है । रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । धारा 212 के तीनों बिन्दू रेस्पो0 प्रार्थी के पक्ष में साबित न होकर हमारे पक्ष में साबित है, किन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, जिसमें मेरा 1/4 हिस्सा निहित है, किन्तु अपीलांट मेरे हिस्से की भूमि पर जबरन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कब्जा करना चाहते हैं । तहत न्यायालय ने इनको सही तौर पर पाबन्द किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 454 एवं 455 वाके ग्राम माजरीखुर्द तहसील बहरोड में प्रार्थी रेस्पो0 1/4 भाग का काबिज खातेदार है । काबिज खातेदार होने की स्थिति में धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रार्थी रेस्पो0 के पक्ष में साबित है । विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.4.2007 यथावत रखा जाता है ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner